न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 10 / 2021

उनवान

पूसालाल पुत्र रामेश्वर जाति नायक निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद।
--- प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामेश्वरी पत्नी कालू जाति नायक निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद
-- अप्रार्थीगण :– 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 12-04-24

–: आदेश :–

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के खसरा नम्बर 4595 रकबा 0.48 किस्म बारानी 2 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। आवेदनकर्ता अपनी उपरोक्त आराजी में मुख्य रास्ता से होकर हाल खसरा नम्बर 4597 में से आवागमन करते है। खसरा नम्बर 4597 अप्राथी संख्या 1 के पति कालू के नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु हो गयी है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार हाल खसरा नम्बर 4595 रकबा 0.48 प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी ने उक्त आराजी पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के पति की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 4597 में से रास्ता चाहा है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रास्ता व प्रार्थी की खातेदारी आराजी के बीच में खसरा नम्बर 4597 स्थित है। मौके पर सिवाचक खसरा नम्बर 4565 में रास्ता बना हुआ है। किन्तु उक्त खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख मे रास्ता दर्ज नही है। मौके पर खसरा नम्बर 4565 पर नरेगा रोड बनी हुयी है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 4597 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त मार्ग लघुतम बताया

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

गया है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होना बताया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण के खण्डन हेतु उपस्थित नही हुये है। प्रकरण में पूर्व मे प्रस्तुत रिपोर्ट में 60 मीटर लम्बा व 8 मीटर चौडा कुल 480 वर्ग मीटर भूमि तथा बाद में प्रस्तुत रिर्पोट 64 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौडा कुल 576 वर्ग मीटर भूमि लेने का अंकन है। किन्तु प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु आवागमन करना है अतः 5 मीटर चौडा मार्ग पर्याप्त होने से प्रार्थी को 64 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा कुल 320 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाना उचित है। **धारा 251 क राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत किसी काश्तकार के पास अपने खातेदारी खेतो में जाने हेतु काई मार्ग विधमान या उपलब्ध नही है तो वह अन्य काश्तकार/सिवायचक भूमि में से अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त कर सकता है।** प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिर्पोट अनुसार प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम सनोद के खसरा नम्बर 4597 में से 64 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा कुल 320 वर्ग मीटर भूमि गै0मु0 रास्ता सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के एवज में 17015/ अक्षरे सतरह हजार पन्द्रह रूपये का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 का होने के बाद रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद